

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या- 47/2004

जीसीएमएस- 2004/00001

दायर दिनांक- 07.07.2004

निर्णय दिनांक- 17.08.2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री छीतर पुत्र भैरू (मृतक) जरिये वारिसान :- 1/1. हरिसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/2. माधोसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/3. नौरतसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/4. संतु देवी पुत्री स्व. छीतर 1/5. सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री लादूसिंह पुत्रवधू स्व. छीतर 1/6. महेंद्रसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह 1/7. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह 1/8. तारादेवी पुत्री स्व. लादूसिंह 1/9. सीरादेवी पुत्री स्व. लादूसिंह 1/10. नानीदेवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल 1/11. विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल 1/12. सूरजसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल 1/13. अनितादेवी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल 1/14. सीमादेवी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल 1/15. विजयसिंह पुत्र स्व. श्रीमती सीतादेवी 1/16. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्रीमती सीतादेवी निवासी नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री भाणू वल्द बसंता जाति माली निवासी ग्राम पुष्कर जिला अजमेर। 2. सत्यनारायण पुत्र भाणू 3. बाबूलाल पुत्र भाणू 4. सीताराम पुत्र भाणू 5. नौरत पुत्र भाणू समस्त जाति माली निवासी नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-1. श्री अजीत सिंह राठौड, वादीगण, अधिवक्ता

2. श्री एन.एस.राजावत, प्रतिवादी, अधिवक्ता




उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

--: डिक्री :-

उपर्युक्त विश्लेषण से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर खाता संख्या 374 के खसरा नंबर 1098 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख.नं. 1099 रकबा 0.19 हैक्ट0 में सम्पूर्ण रकबे पर खातेदार भाणु पुत्र बसंता हिस्सा पूर्ण जाति माली के स्थान पर स्व. श्री छीतर पुत्र भैरु जाति रावत के समस्त विधिक एवं कानूनी वारिसानों के नाम पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जावें तथा खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 1090 रकबा 0.11 हैक्ट0 में खातेदार अनिता पुत्री बाबूलाल, उम्मेदसिंह पुत्र लादूसिंह, तारादेवी पुत्री लादूसिंह, नानीदेवी पत्नी बाबूलाल, नोरतसिंह पुत्र छीतरसिंह, महेंद्रसिंह पुत्र लादूसिंह, माधोसिंह पुत्र छीतरसिंह, मीरा पुत्री लादूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र बाबूलाल, संतु पुत्री छीतरसिंह, सूरजसिंह पुत्र बाबूलाल, सीता पुत्री छीतरसिंह, सीमा पुत्री बाबूलाल, सोहनी देवी पत्नी लादूसिंह, हरिसिंह पुत्र छीतरसिंह के हक-हिस्से के स्थान पर भाणूलाल पुत्र बसंता जाति माली को (स्वयं के हिस्से को सम्मिलित करते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जावें। इसी प्रकार खाता सं0 151 के खसरा नंबर 1088/2536 रकबा 0.04 हैक्ट0, 1089 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1092 रकबा 0.02 हैक्ट0, 1093 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1094 रकबा 0.03 हैक्ट0 में खातेदार अनिता पुत्री बाबूलाल, उम्मेदसिंह पुत्र लादूसिंह, तारादेवी पुत्री लादूसिंह, नानीदेवी पत्नी बाबूलाल, नोरतसिंह पुत्र छीतर, महेंद्रसिंह पुत्र लादूसिंह, माधोसिंह पुत्र छीतरसिंह, मीरा पुत्री लादूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र बाबूलाल, संतु पुत्री छीतर, सूरजसिंह पुत्र बाबूलाल, सीता पुत्री छीतर, सीमा पुत्री बाबूलाल, सोहनी देवी पत्नी लादूसिंह, हरिसिंह पुत्र छीतर के स्थान भाणूलाल पुत्र बसंता जाति माली को पूर्ण हिस्से (स्वयं के हिस्से को सम्मिलित करते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड (ख.नं. 1091 में खातेदार यथावत्) यथावत् रखा जावें। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्षकारान एक-दूसरे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार पुष्कर को तहरीर जारी की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।




सुखाराम पिण्डेल
उप-जिलाधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पर्चा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या- 47 / 2004

जीसीएमएस- 2004 / 00001

दायर दिनांक- 07.07.2004

निर्णय दिनांक- 17.08.2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री छीतर पुत्र भैरू (मृतक) जरिये वारिसान :- 1/1. हरिसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/2. माधोसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/3. नौरतसिंह पुत्र स्व. छीतर 1/4. संतु देवी पुत्री स्व. छीतर 1/5. सोहनी देवी पत्नी स्व. श्री लादूसिंह पुत्रवधू स्व. छीतर 1/6. महेंद्रसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह 1/7. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह 1/8. तारादेवी पुत्री स्व. लादूसिंह 1/9. मीरादेवी पुत्री स्व. लादूसिंह 1/10. नानीदेवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल 1/11. विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल 1/12. सूरजसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल 1/13. अनितादेवी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल 1/14. सीमादेवी पुत्री स्व. श्री बाबूलाल 1/15. विजयसिंह पुत्र स्व. श्रीमती सीतादेवी 1/16. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्रीमती सीतादेवी निवासी नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री भाणू वल्द बसंता जाति माली निवासी ग्राम पुष्कर जिला अजमेर। 2. सत्यनारायण पुत्र भाणू 3. बाबूलाल पुत्र भाणू 4. सीताराम पुत्र भाणू 5. नौरत पुत्र भाणू समस्त जाति माली निवासी नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-1. श्री अजीत सिंह राठौड, वादीगण, अधिवक्ता

2. श्री एन.एस.राजावत, प्रतिवादी, अधिवक्ता



17-8-22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जावें तथा खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 1090 रकबा 0.11 हैक्ट0 में खातेदार अनिता पुत्री बाबूलाल, उम्मेदसिंह पुत्र लादूसिंह, तारादेवी पुत्री लादूसिंह, नानीदेवी पत्नी बाबूलाल, नोरतसिंह पुत्र छीतरसिंह, महेंद्रसिंह पुत्र लादूसिंह, माधोसिंह पुत्र छीतरसिंह, मीरा पुत्री लादूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र बाबूलाल, संतु पुत्री छीतरसिंह, सूरजसिंह पुत्र बाबूलाल, सीता पुत्री छीतरसिंह, सीमा पुत्री बाबूलाल, सोहनी देवी पत्नी लादूसिंह, हरिसिंह पुत्र छीतरसिंह के हक-हिस्से के स्थान पर भाणूलाल पुत्र बसंता जाति माली को (स्वयं के हिस्से को सम्मिलित करते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जावें। इसी प्रकार खाता सं० 151 के खसरा नंबर 1088/2536 रकबा 0.04 हैक्ट0, 1089 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1092 रकबा 0.02 हैक्ट0, 1093 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1094 रकबा 0.03 हैक्ट0 में खातेदार अनिता पुत्री बाबूलाल, उम्मेदसिंह पुत्र लादूसिंह, तारादेवी पुत्री लादूसिंह, नानीदेवी पत्नी बाबूलाल, नोरतसिंह पुत्र छीतर, महेंद्रसिंह पुत्र लादूसिंह, माधोसिंह पुत्र छीतरसिंह, मीरा पुत्री लादूसिंह, विक्रमसिंह पुत्र बाबूलाल, संतु पुत्री छीतर, सूरजसिंह पुत्र बाबूलाल, सीता पुत्री छीतर, सीमा पुत्री बाबूलाल, सोहनी देवी पत्नी लादूसिंह, हरिसिंह पुत्र छीतर के स्थान भाणूलाल पुत्र बसंता जाति माली को पूर्ण हिस्से (स्वयं के हिस्से को सम्मिलित करते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड (ख.नं. 1091 में खातेदार यथावत्) यथावत् रखा जावें। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्षकारान एक-दूसरे के कब्जे-काश्त उपयोग उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार पुष्कर को तहरीर जारी की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



सुखाराम पिण्डेल
उपरवास्तव्य अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग जमाबंदी के खसरा नंबर 1454 रकबा 02-01-00 बीघा, ख.नं. 1470 रकबा 02 बीघा उभयपक्षकारान की खातेदारी, कब्जे-काश्त एवं विवादित आराजीयात है। उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उपर्युक्त प्रकरण संख्या 252/2016 श्री छीतर बनाम भाणू व प्रकरण संख्या 47/2004 श्री छीतर बनाम भाणू को समेकित करते हुए राजीनामा के आधार पर न्यायहित में निर्णय करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष मय अभिभाषक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित कथन इस प्रकार है कि " वर्किंग खसरा नंबर 1454 जिसके कि वर्तमान खसरा नंबर 1088/2536 रकबा 0.04 हैक्ट0, 1089 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1092 रकबा 0.02 हैक्ट0, 1093 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1094 रकबा 0.03 हैक्ट0, 1090 रकबा 0.11 हैक्ट0 भूमियों में स्व. श्री छीतर जिनके वर्तमान में प्रतिवादीगण विधिक वारिस है, के नाम खातेदारी चली आ रही है। सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादी श्री भाणू प्रदान किए जाने में पूर्ण सहमत है। इसी प्रकार वर्किंग खसरा नंबर 1470 रकबा 2 बीघा के वर्तमान खसरा नंबर 1098 रकबा 0.01 हैक्ट0, 1099 रकबा 0.19 हैक्ट0 भूमि वादी के स्थान पर प्रतिवादी स्व. श्री छीतर के विधिक वारिसान एवं वर्तमान प्रतिवादीगण के दर्ज किए जाने में पूर्ण सहमत है।"

चूंकि वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण एवं इनके विधिक वारिसान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के कारण कायमी तनकीयात पर विचार न करते हुए सीधे ही उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित चाहे गये अनुतोष पर विचारण किया गया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की उपस्थिति में बहस सुनी तथा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के आधार पर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उद्घोषणा अंतर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अध्यक्षीन कराये जाने के अधिकारी है। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चाहे गये अनुतोष का वाद-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा स्वीकार किया जाकर उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर खाता संख्या 374 के खसरा नंबर 1098 रकबा 0.01 हैक्ट0, ख.नं. 1099 रकबा 0.19 हैक्ट0 में सम्पूर्ण रकबे पर खातेदार भाणु पुत्र बसंता हिस्सा पूर्ण जाति माली के स्थान पर स्व. श्री छीतर पुत्र भैरू जाति रावत के समस्त विधिक एवं कानूनी वारिसानों के नाम पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

A
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
13-8-22